न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

हरीलाल महतो बनाम नारायण पासवान वगै०

वाद संख्या –150 / 2023

धारा – 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

14/12/23

आदेश

अभिलेख उपस्थापित प्रश्नागत वाद की भूमि मौजा– लुकुईया, थाना– बगोदर, अंचल– बगोदर, जिला– गिरिडीह, खाता न०– 16, प्लॉट न०– 86, रकवा– 9 डी० , चौहद्दी– उ०– सोहन महतो, द०– बढ़न दुसाध, पू०– मणी महतो, प०– मकान कृपा पासवान, रकवा– 51 डी०, चौहद्दी– उ०– सोहन महतो, द०– बढ़न दुसाध, पू०– रास्ता, प०– प्लॉट न० 86 पर वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अंचल अधिकारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग करते हुए प्रश्नागत भूमि पर दिनांक– 17.10.203 निषेधाज्ञा लागू किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि उक्त वाद की भूमि प्रथम पक्ष के मणी महतो वगै० के नाम से हासिल है एवं जमाबंदी कायम है तथा प्रथम पक्ष शांति पूर्वक दखलकार चले आ रहे हैं

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गए।

1. ऑनलाइन राजस्व रशीद की छायाप्रति।
2. रजिस्टर–*I* जमाबंदी रजिस्टर (रेन्टरोल) के सत्यापित कॉपी की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर बतलाया गया कि द्वितीय पक्ष के पूर्वज कुतुहल दुसाध को $P.S.No.501/1964$ द्वारा खाता न०–16 प्लॉट न०– 86, 87 एवं अन्य खाता प्लॉट के $\frac{1}{3}$ हिस्सा प्राप्त है। जिस पर द्वितीय पक्ष के पूर्व में हीं घर–मकान बना हुआ है एवं परती जमीन पर आलू आदि के फसल लगाया करते हैं। वाद की भूमि पर द्वितीय पक्ष का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

1. $P.S.No.501/1964$ के आदेश एवं डिक्री के सत्यापित कॉपी की छायाप्रति।
2. राजस्व रशीद की छायाप्रति।

अंचल अधिकारी बगोदर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में बतलाया गया है वाद की भूमि रैयती खाते की है एवं उभय पक्षों के द्वारा दखल कब्जा को लेकर विवाद किया जा रहा है।

उभय पक्षों के अधिवक्ता के कथन को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कारण पृच्छा, जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नागत भूमि द्वितीय पक्ष को $P.S.No.501/1964$ के डिक्री से प्राप्त है। उक्त वाद की कार्यवाई द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त एवं प्रथम पक्ष के विरूद्ध नियमन निरपेक्ष करने का आदेश दिया जाता है।

उक्त आशय के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। उक्त आदेश का परिचालन द०प्र०सं० की धारा 144 (4) के अधीन प्रभावी होगा।

लेखापित एवं संशोधित,

14/12/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

14/12/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 13:54:20 +05:30
Location: 192.168.1.3